उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ

संख्या : 809 /स0प्र0-3/20-21/94/530 / दिनांक 28/6/2008

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 1383/सी0एम0/9-आ-7-94-18 मिस/88, दिनांक 23.11.94 के क्रम में जारी परिषदीय आदेश संख्या 3054/स0प्र0-3/ दिनांक 9.2.95 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/ निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों/ भवनों के आवंटन/ नीलामी में निम्न प्रकार आरक्षण की व्यवस्था की गयी है:-

क0सं0	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
4	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5%
5	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं	5%
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण,जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी	2%
7	भूतपूर्व एवं वर्तमान सैनिक व उनके आश्रित	3%
	योग	65%

शासनादेश संख्या 4982/9-आ-1-99-79 बैठक दिनांक 17.11.99 के अनुक्रम में जारी परिषदीय आदेश संख्या 2047/ स0प्र0-3/ दिनांक 28.1.2000 द्वारा समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत तथा कार्यालय आदेश संख्या 585/स0प्र0-3, दिनांक 5.8.02 द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु 3% के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, लेकिन यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण से ही होगा।

मा0 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुरूप कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, परिषद की उपरोक्त आरक्षण व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत आरक्षण प्रदान किये जाने के एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं:-

1. अनुसूचित जाति 21%
2. अनुसूचित जनजाति 2%
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 27%

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों में से वे जिस वर्ग में आते हैं,

मे निम्नवत हारिजान्टल आरक्षण प्रदान किये जाने के भी एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं:--

1	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5%
2	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं	5%
3	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण,जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी	2%
4	भूतपूर्व एवं वर्तमान सैनिक व उनके आश्रित	3%
5	समाज के विकलांग व्यक्ति	3%
6	वृद्धजन (वरिष्ठ नागरिक	10%

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

(अनिल सन्त)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता / मुख्य वास्तुविद नियोजक / वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता।
3. समस्त अपर आवास आयुक्त / संयुक्त / उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
4. सहायक आवास आयुक्त / सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
5. आवास आयुक्त / अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आवास आयुक्त